



2026:AHC:52480

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3579 वर्ष 2026

श्रीमती आकांक्षायाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : प्रणवेश, जादू नंदन यादव

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी. (स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रणवेश, जिला कार्यक्रम अधिकारी, फिरोज़ाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.12.2025 को चुनौती देने वाली वर्तमान रिट याचिका को वापस लेना चाहते हैं, जिसके द्वारा इस आधार पर याचिकाकर्ता की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर नियुक्ति रद्द कर दी गई थी कि आय प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया था। वह इस स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेना चाहते हैं कि आय प्रमाण पत्र रद्द करने के आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन के निस्तारण के बाद नई रिट याचिका दायर कर सकें, जिसके संबंध में रिट याचिका संख्या रिट-सी 4140 वर्ष 2026 को दिनांक 04.02.2026 को प्रत्यावेदन के निस्तारण हेतु निस्तारित किया गया था।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
3. तदनुसार, रिट याचिका इस स्वतंत्रता के साथ निस्तारित की जाती है कि आय प्रमाण पत्र रद्द करने के आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन के निस्तारण के पश्चात् याचिकाकर्ता पुनः इस न्यायालय में आ सकती हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि याचिकाकर्ता के पास उस अवधि के वेतन भुगतान के लिए इस न्यायालय में आने का विकल्प खुला रहेगा, जिस अवधि के दौरान उन्होंने पहले ही कार्य किया है।

(विकास बुधवार, जे.)

मार्च 16, 2026

राजेश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।